



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

CE
27/3/86

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 574] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 1985/पौष 10, 1907
No. 574] NEW DELHI, TUESDAY, DEC. 31, 1985/PAUSA 10, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

कारिग, लोक शिक्षण और वंचित संसाधन

(कारिग लोक शिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1985

सं. का. नि. 956(सू) :—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985
(1985 का 13) की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
एतद्वारा पहले जनवरी, 1986 को उस तारीख के रूप में, नियत करती है जिसको इस अधि-
नियम के उपबंध लागू होंगे, जहाँ तक उनका सम्बन्ध नुसारित प्रशासनिक अधिकरण, हिमाचल
प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, केरल प्रशासनिक अधिकरण, महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण, मध्य
प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण तथा उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण के हैं ।

[सं-11019/28/85-ए.डी.]

पी. जी. जेने, निदेशक

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND
PENSIONS**

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1985.

G.S.R. 956(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby appoints the 1st day of January, 1986 as the date on which the provisions of the Act, in so far as they relate to the Gujarat Administrative Tribunal, the Himachal Pradesh Administrative Tribunal, the Karnataka Administrative Tribunal, the Kerala Administrative Tribunal, the Maharashtra Administrative Tribunal, the Madhya Pradesh Administrative Tribunal and the Orissa Administrative Tribunal shall come into force.

[A-11019/28/85-A'

P. G. LELE, Director